"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2016—आश्विन 21, शक 1938

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-72/2011/11/(6).— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी का पदनाम एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ. ग. लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) की धारा 21 के अधीन संस्थाओं की ओर से चल/अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करने, दान लेने-देने अथवा हस्तांतरण या अंतरण करने की स्थिति में पूर्वानुमति प्रदाय किये जाने हेतु.	30 दिवस	पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़	पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पूर्व अधिसूचित छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को जारी सरल क्रमांक 4 पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के बिन्दु क्रमांक-2 के बाद निरंतरता में जोड़कर अधिसूचित करने हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.